संख्या-5 /2019/440/एक-4-2019-2बी-4/2009टी.सी.1

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,

विशेष सचिव,

उ0प्र0शासन

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद, उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग-4 दिनांक- 30 मार्च, 2019

विषय:-प्रदेश के 70 जनपदो के भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-210/1-18-2019/क0सेल/19/2005, टी.सी. दिनांक 27.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन हेतु अप्रयुक्त धनराशि में से व्यय करने हेतु अनुमन्य प्रदत्त धनराशि रू0- 978.70 लाख में से 03 जनपदों के भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन की धनराशि रू0-49.16 लाख को छोड़ कर अन्य जनपदों हेतु पूर्व में धनराशि रू0- 483.35 लाख को व्यय किया जा चुका है। अत: वर्तमान में अनुमन्य प्रदत्त धनराशि रू0- 978.70 लाख में से भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन हेतु रू0- 495.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

1- योजनाओं के व्ययों को मानक मदवार हुयी बजट व्यवस्था की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।

2- वस्तुओं के क्रय विक्रय के संबंध में क्रय नियमों के अधीन बाजारु प्रतिस्पधा को दृष्टिगत रखते हुये नियामानुसार क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

3- वस्तुओ/सामग्री को क्रय करने हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन बाजारु प्रतिस्पधा को दृष्टिगत रखते हुये नियामानुसार क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- कम्प्यूटर तथा मशीनों के क्रय के संबंध में नियामानुसार क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय इसी वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कर लिया जायेगा जिससे उक्त धनराशि के समर्पण की स्थिति उत्पन्न न हो।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्रों क्रमश: दिनांक 31.12.2008 व 31.03.2011 में दिये गये निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा उक्त धनराशि स्वीकृत की गई है।

8- उक्त धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु ही निर्गत है अथवा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना पर ही किया जा सकता है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक -4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ-0101-प्रदेश के भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (के.100/रा.0-के.)-46 हार्डवेयर/सोफ्टवेयर का क्रय के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह),

विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ।

3- कोषाधिकारी, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

6- नियोजन अनुभाग-4

7- राजस्व अनुभाग-6

8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र),

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।